मु.नं.26/2015 एफएसएस एक्ट

न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

स.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 26/2015

श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी- कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

-: बनाम :-

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास बूब (विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, कालू रोड़ एसबीबीजे, बैंक के पास, लूणकरणसर बीकानेर- निवासी गोगामेडी के पास लूणकरणसर, बीकानेर
2. श्री महेश कुमार प्रो. नै0 मैसर्स श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी, कालू रोड़ एसबीबीजे, बैंक के पास, लूणकरणसर बीकानेर
3. श्री श्यामलाल झंवर प्रो0 मै. धनादास 1014, अग्रवाल मार्केट, द्वितीय फ्लौर, मिश्रा राजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर निवासी 9 ए.सी. 1 अध्योध्या लालगढ पैलेस, विद्याधर नगर सैक्टर- 2 जयपुर
4. चन्दा माहेश्वरी डायरेक्टर मैसर्स बाबा रूपनाथ जी फूड्स एण्ड स्पाईसेज प्रो. लि. पी. एन.2092 रीको औद्योगिक क्षैत्र, रामचन्द्रपुरा, जयपुर राजस्थान, निवासी 131 वार्ड 20, लखोटिया अनुनाबास, नोखा, बीकानेर
5. सुनीता लखोटिया, डायरेक्टर मैसर्स बाबा रूपनाथी फूड्स एण्ड स्पाईसेज प्रा. लि. नं. 2092 रीको औद्योगिक क्षैत्र, रामचन्द्रपुरा जयपुर राजस्थान। निवासी वार्ड 21, मनसुख लाल जेठमलिका प्रसाद जी लखोटिया, लखोटिया का बास, नोखा, बीकानेर
6. नीरा देवी भट्टड़, डायरेक्टर मैसर्स बाबा रूपनाथी फूड्स एण्ड स्पाईसेज प्रा. लि. नं. 2092 रीको औद्योगिक क्षैत्र, रामचन्द्रपुरा जयपुर राजस्थान। निवासी वार्ड 12/117 भट्टड़ों का बास जैन चौक, नोखा, बीकानेर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011</u>

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री देवेन्द्र खत्री

निर्णय दिनांक 26.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.10.2014 को अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोतम दास बूब(विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ट्रेडिंग, कम्पनी, कालू रोड़ एसबीबीजे बैंक के पास, लूणकरणसर (बीकानेर) के यहां फर्म का निरीक्षण के दौरान फर्म/दुकान के काउन्टर में करीबन 20–22 पैकेट 50 ग्राम पैंकिंग लाल मिर्च पाउडर(बी.आर.जी. ब्राण्ड) के वास्ते आम जनता को बिक्री हेतु रखे हुवे थे। उक्त लाल मिर्च पाउडर(बी.आर.जी. ब्राण्ड) में मिसब्राण्ड एवं मिलावट का शक होने पर उक्त पैकेटों में से चार पैकेट मूल ही वास्ते नमूना हेतु कुल कीमत रू. 320/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त प्राप्त नमूना जांच हेतु क्रय किये गये लाल मिर्च पाउडर(बी.आर.जी. ब्राण्ड) के चारों पैकेटों पर लेबल तैयार कर (नमूना संख्या ए.बी.–430) पूर्व विवरण दर्जकर उस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाकर उनको एक मोटे मजबूत खाकी कागज में लपेटकर अच्छी तरह गोंद से चिपकाकर उन पर अभिहित अधिारी एवं उप निदेशक चिकित्सा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन बीकानेर द्वारा हस्ताक्षरित एबी– 430 पेपर स्लिप को नियमानुसार चपकाकर प्रत्येक पेक्ट को मोटे एवं मजबूत धागे से बांध कर चार–चार जगह दोनों साईडो पर सील चपड़ी कर प्रत्येक पैकेट पर पेपर स्लिप क्रॉस करते हुए विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी उन पर हस्ताक्षर कर चारों सील्ड पैकेटों को कब्जे में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर,पढ़ाकर, समझाकर उनके हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट क्रमांक LS./1843/Act/ 2014/1358 दिनांक 11.12.2014 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 व धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री देवेन्द्र खत्री अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Chili Powder (BRG)" bearing Code No. and Sr. No. AB-430 of Designated Officer cum. The Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, zone Bikaner. is Substandard Under section (zx) of FSS Act. 2006. and Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 व 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2014 को लाल मिर्च पाउडर का नमूना लेते वक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 47(1)(ए) की पालना नहीं की है। अप्रार्थीगण 3 से 6 को नमूना लिये जाने की कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई। धारा 47(1) की उप धारा सी(III) एक मेन्डेटरी प्रावधान है जिसकी पालना नहीं एवं प्रार्थीगण को सूचना नहीं देने के कारण प्रार्थीगण इसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने से वंचित रह गये। नमूने की सूचना प्राथींगण को प्रेषित करते तो प्रार्थीगण नमूने के एक भाग को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

नियमानुसार पुनः जांच प्रयोगशाला से करवाते। अप्रार्थी के यहां नमूना दिनांक 16.10.2014 को प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ तथा उसका विश्लेषण 19.11.2014 से 11.12.2014 तक खाद्य विश्लेषक द्वारा किया गया तथा दिनांक 11.12.2014 को विश्लेषण रिपोर्ट जारी की यानि नमूने का विश्लेषण नमूना लेने के एक माह तीन दिवस बाद शुरू किया गया तथा उसकी विष्लेषण रिपोर्ट 58 दिन बाद जारी की गई। जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नमूना प्राप्ति के बाद 15 दिवस में विश्लेषण रिपोर्ट दिया जाना जरूरी है। 15 दिन की समयावधि बढ़ाने का कोई आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त जयपुर ने जारी नहीं किया गया तथा उसके बढ़ाये जाने का कोई विधिक कारण भी नहीं है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत Regulation के अनुरूप ही बेस्ट बिफोर लिखने का प्रावधान नियम 32(2) के अन्तर्गत था तथा उक्त प्रावधान के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2005(2) एफएसी– 122, एमडी आनन्द बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2011(1) एफएसी– 265, प्रमोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2012(1) एफएसी– 479 एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा एमडी श्री ओम इण्ड. बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफआईसी– 8, ऑस्कार जोशेश व अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफआईसी– 74, श्री जालाज कुमार छत्तरजी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2013(1) एफआईसी– 482 एवं श्री जालाज कुमार छत्तरजी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफआईसी– 484 में दिये गये निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया कि बेस्ट बिफोर अगर Small letters में लिखा गया हो तो भी उक्त रूल की Sufficient compliance माना है। Capital Letters लिखने का प्रावधान अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में तो है ही नहीं। अन्त में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के प्रदत्त अधिकार नमूने को प्रयोगशाला से पुनः जांच कराने के अधिकार का हनन होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः परिवाद को न्याय हित में इसी स्टेज पर खारिज करने की कृपा करें।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में जो कथन किये एवं समर्थन में जो नजीरे की जो प्रति प्रस्तुत की है के अवलोकन से यह नजीरे एवं आदेश इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत धारा 51 एवं 52 के तहत अभियोजन कार्यवाही दायर की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./1843/Act/ 2014/1358 दिनांक 11.12.2014 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Chili Powder (BRG)" bearing Code No. and Sr. No. AB-430 of Designated Officer cum. The Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, zone Bikaner. is Substandard Under section (zx) of FSS Act. 2006. and Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । जबकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2005(2) एफएसी– 122, एमडी आनन्द बनाम स्टेट ऑफ बिहार

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

व अन्य 2011(1) एफएसी– 265, प्रमोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य 2012(1) एफएसी– 479 एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा एमडी श्री ओम इण्ड. बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफआईसी– 8, ऑस्कार जोशेश व अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफआईसी– 74, श्री जालाज कुमार छत्तरजी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2013(1) एफआईसी– 482 एवं श्री जालाज कुमार छत्तरजी बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य 2012(2) एफआईसी– 484 में दिये गये निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया कि बेस्ट बिफोर अगर Small letters में लिखा गया हो तो भी उक्त रूल की Sufficient compliance माना है। इसके अलावा अप्रार्थीगण से जब्त शुदा सामग्री निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण अप्रार्थी के यहां लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी को उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के तहत मिसब्राण्ड के आरोप को प्रमाणित नहीं होने की सीमा तक आंशिक रूप से दोष मुक्त करते है। परन्तु अप्रार्थी के विरूद्ध सबस्टैण्डर्ड का आरोप प्रमाणित होने के कारण उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 45,000/– अखरे रूपये पैंतालीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

7. खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टेण्डर्ड खादय पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) का विनिर्माण किया गया है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से राशि 30,000/– अखरे तीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की शास्ति रूपये 10–10 हजार रूपये यानि प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 भरने हेतु दायी होगा।

8. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खादय पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खादय सामग्री लाल मिर्च पाउडर (बी.आर.जी.ब्राण्ड) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 15,000/– अखरे पन्द्रह हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 3 वितरक समान रूप से भरने हेतु दायी होंगे। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की शास्ति राशि 5–5 हजार रूपये यानि प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित 45,000/– रूपये की शास्ति में से तीस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 10–10 हजार (विनिर्माता) एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (विक्रेता) एवं अप्रार्थी संख्या 3 वितरक प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति अदा करेंगे।

जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

9. अप्राथीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीगणों के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner